न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज0)

पीठासीन अधिकारी – विनोद कुमार, आर0 जे0 एस0

निर्णय दिनांक – 02 अप्रैल 2026

नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या – 230 / 2020

सीआईएस नंबर – 230 / 2020

सी एन आर नंबर – RJJH070006752020

राजस्थान राज्य बनाम शेखर

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या –09 / 2020, पुलिस थाना खेतड़ीनगर
अपराध अन्तर्गत धारा–498ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता

भाग–प्रथम

।

परिवादिया	किरण पत्नी शेखर पुत्री पप्पूराम उम्र 26 साल निवासी जोधा का बास तहसील चिडावा हाल आबाद क्वाटर नंबर 515 थर्ड बी खेतड़ीनगर, जिला झुंझुनू राज0
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी श्री कृष्ण कुमार
अभियुक्त का नाम व पता	शेखर पुत्र होशियार सिंह उम्र 30 साल निवासी जोधा का बास तन नारी थाना चिड़ावा जिला झुंझुनू राज0
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री महीपाल दौराता

क

अपराध की दिनांक	06.07.2018 से 08.12.2019
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	07.01.2020
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	12.03.2020
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	05.03.2021
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	25.03.2021
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	02.04.2026
निर्णय दिनांक	02.04.2026
दण्डादेश की दिनांक	–

ब

अभियुक्त का विवरण

क्रम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अन्तर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा 428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिये अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
01	शेखर	–	–	498ए भा.द.सं.	दोषमुक्त		

				406 भा.द. सं.	राजीनामा दोषमुक्त		

भाग द्वितीय
अभियोजन / बचाव / न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी0डब्ल्यू 01	किरण कुमारी	परिवादिया
पी0डब्ल्यू 02	आशा कुमारी	परिवादिया की बहिन
पी0डब्ल्यू 03	पप्पूसिंह	परिवादिया के पिता
पी0डब्ल्यू 04	भतेरी देवी	परिवादिया की माता

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
–	–	–

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
––	––	––

अभियोजन / बचाव / न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श नंबर	विवरण
01	प्रदर्श पी–01	इस्तगासा
02	प्रदर्श पी–02	मेडिकल नहीं करवाने बाबत प्रार्थना पत्र
03	प्रदर्श पी–03	फर्द जब्ती व अस्थाई सुपुर्दगी स्त्रीधन
04	प्रदर्श पी–04	पुलिस बयान किरण कुमारी
05	प्रदर्श पी–05	पुलिस बयान आशा कुमारी
06	प्रदर्श पी–06	पुलिस बयान पप्पूसिंह
07	प्रदर्श पी–07	पुलिस बयान भतेरी देवी

ब–बचाव प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श नंबर	विवरण
–	–	–

स–न्यायालय प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श नंबर	विवरण
	––	

द–भौतिक वस्तुएं

क्रम संख्या	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
	––	

–:: <u>निर्णय</u> ::– दिनांक 02 अप्रैल 2026

01. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादिया किरण ने एक परिवाद पत्र न्यायालय के समक्ष आरोपीगण शेखर, अविनाश, होशियार सिंह, समाकोर देवी, सरोज, शुभम के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि परिवादिया की शादी दिनांक 06.07.2018 को हिंदू रीति रिवाज से शेखर के साथ उसके पिता के घर ग्राम खेतडीनगर में संपन्न हुई थी तथा परिवादिया के साथ ही उसकी छोटी बहिन आशा का विवाह अभियुक्त संख्या 2 अविनाश के साथ संपन्न हुआ था। परिवादिया की शादी में परिवादिया के माता पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर काफी दान दहेज दिया तथा लग्न टीके पर ही समस्त घरेलू सामान व 65000–65000 रूपये दो मोटरसाईकिलों के व 21000 रूपये नकद दिये थे। परिवादिया व उसकी बहिन विदा होकर अपने ससुराल गई तो अभियुक्तगण ने उनका नव विवाहिता के रूप में स्वागत नहीं किया बल्कि विवाह में दिये गये सामान को देखकर उनको घर आये मेहमानों के सामने ताने दिये व उसके साथ कडवा व्यवहार करते हुए भूखे कंगले घर की कहकर बेईज्जत किया व कहा कि किन कंगलो से पाला पड़ गया तथा कहा कि हमें कचोला में 51,000 रूपये ही दिये है हमको लग्न टीका के मुताबिक एक गाडी व कम से कम 2,51,000 रूपये देने चाहिये थे। परिवादिया व उसकी बहन जब फेर मोहड़े की रश्म पर पीहर आई तब परिवादिया ने अभियुक्तगण द्वारा दिये गये ताने देने की बता बताई तो परिवादिया के परिजनों ने कहा कि वो उनके ससुराल वालों से बात करेंगे। पुनः अभियुक्तगण द्वारा उनसे 2,51,000 रूपयों व गाड़ी की मांग करने लगे एवं मारपीट करने लगे तथा भूखी प्यासी रखने लगे। परिवादिया ने बिडला हॉस्पिटल जयपुर में स्टाफ नर्स की नौकरी ज्वाईन की एवं जो भी कमाकर लाती अभियुक्त संख्या 1 को देती लेकिन इसके बावजूद भी अभियुक्त सं. 1 परिवादिया को बात–बात पर गाली निकालता व प्रताड़ित करता व एक दिन अभियुक्त संख्या 1 ने परिवादिया

के प्रेस की फेंककर मारी जिससे उसकी पीठपर लगी। इसके चलते वह अपने पति अभियुक्त संख्या 1 के अंश से गर्भवती हो गई लेकिन उसके बाद भी अभियुक्तगण के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। अभियुक्त संख्या 3 व 4 गालियां निकालते व कहते कि तुम्हे पागल घोषित करवाकर हम हमारे दोनों लड़कों की दूसरी शादी करेंगे हमें गाड़ी व रूपये देने वाले बहुत है। मार्च 2019 में दोनों बहिनों को मारपीट कर घर से निकाल दिया व कहा कि पैसे लेकर आना वरना यहां मत आना। दिनांक 29.03.2016 को रूपयों की मांग को लेकर अभियुक्तगण ने परिवादिया व उसकी बहिन के साथ मारपीट की। इसके चलते 9 अक्टूबर 2019 को परिवादिया के एक पुत्र का जन्म हुआ तब अभियुक्तगण कहने लगे कि अब तो तेरे बाप को बोल देना जलवा में गाड़ी लेकर आये। परिवादिया ने पुलिस थाना चिड़ावा को फोन किया तो पुलिस उनके घर आई जिससे पहले ही अभियुक्त संख्या 1 व 5 घर से भाग गये। परिवादिया के डिलेवरी होने के 3–4 दिन बाद ही उसकी सास, ननद व पति ने मिलकर परिवादिया को मारने की नियत से गरम पानी करके उसमें गाफी लौंग मिलाकर काडा बनाकर जबरन से परिवादिया को पिला दिया जिससे परिवादिया की तबीयत खराब हो गई। परिवादिया का ईलाज उसके पिता ने करवाया व समस्त खर्चा उसे पिता ने वहन किया। दिनांक 08.12.2019 को अभियुक्त संख्या 1, 3 लगायत 4 परिवादिया के पीहर आये व लडाई झगड़ा करने पर उतारू हो गये तथा 7 लाख रूपयों की मांग की व दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर दोनों बहिनों को छोडने व अभियुक्त संख्या 1 व 2 की दूसरी शादी करने की धमकी दी। जब परिवादिया के पिता ने विवाह में दिया गया सामान व स्त्रीधन वापस मांग तो वह भी देने से इंकार कर दिया इत्यादि।

02. उक्त परिवाद पत्र धारा–156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत संबंधित पुलिस थाना को वास्ते कायमी प्रकरण, अन्वेषण व पेश

करने नतीजा हेतु प्रेषित किया गया। जहां पर अभियुक्त के विरूद्ध एफ आई आर नंबर 09 / 2020 अन्तर्गत धारा 498ए, 406 भा.द.स दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त शेखर के विरूद्ध धारा–498ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप पत्र इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.03.2020 को पेश किया गया, जिस पर प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

03. अभियुक्त को दिनांक 05.03.2021 को धारा–498ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने अपराध से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

04. तत्पश्चात दिनांक 18.03.2026 को परिवादिया द्वारा अभियुक्त से धारा–406 भा0द0सं0 में राजीनामा करने हेतु अनुमति दिये जाने बाबत पृथक से प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर पक्षकारान को उक्त अपराध धारा 406 भा.द.सं. में राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की गयी। तत्पश्चात परिवादिया व अभियुक्त ने धारा–406 भारतीय दण्ड संहिता के तहत राजीनामा पेश किया गया, जो बाद जांच तस्दीक किया गया तथा अभियुक्त को धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में जरिये राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया गया तथा अब अभियुक्त के विरूद्ध धारा 498 ए भारतीय दण्ड संहिता का विचारण शेष है।

05. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिये मौखिक साक्ष्य में पृष्ठ संख्या 02 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहान के बयान लेखबद्ध करवाये गये व पृष्ठ संख्या 03 पर भाग द्वितीय में वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

06. अभियुक्त के बयान मुलजिम अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लिए गए, जिसमें अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष व झूठा फंसाये जाने का कथन करते हुए साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा तथा कथन किया कि वह निर्दोष है तथा उसका परिवादिया के साथ राजीनामा हो चुका है।

07. बहस अंतिम उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा कथन किया गया कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहान की साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा आरोपित अपराध कारित किया जाना संदेह से परे साबित हुआ है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

08. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि परिवादी पक्ष के समस्त गवाह पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। परिवादिया ने अभियोजन पक्ष की कहानी की ताईद नहीं की है। किसी भी गवाह ने ऐसा कोई कथन नही किया है कि अभियुक्त द्वारा दहेज की मांग की गई हो। गलतफहमी में मुकदमा दर्ज कराना एवं राजीनामा होने का कथन किया है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

09. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदू यह है कि :–

(1) आया अभियुक्त ने परिवादिया किरण को उसके विवाह दिनांक 06.07.2018 के पश्चात से विभिन्न समय पर दहेज स्वरूप एक गाडी व 2,51,000 रूपये नकद की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर परिवादिया के साथ कूरता कारित की, यदि हां तो उचित दण्ड क्या हो?

(2) यदि हां तो उचित दण्ड क्या होगा ?

10. उपरोक्त अवधार्य बिन्दुओ के बाबत अभियोजन पक्ष द्वारा 04 गवाह को परीक्षित करवाया गया है। इस संबंध में गवाह पी0डब्ल्यू 01 किरण कुमारी जो कि परिवादिया है, ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मेरा विवाह दिनांक 06.07.2018 को शेखर के साथ खेतडीनगर में हुआ था। मेरी छोटी बहिन आशा का विवाह भी शेखर के छोटे भाई अविनाश के साथ हुआ था। हमारे माता पिता ने हमें अपनी

हैसियत के अनुसार स्त्रीधन दिया था। विवाह के बाद जब विदा होकर अपनी ससुराल गई तब ना तो मेरे पति व ना ही मेरे ससुराल वालों ने स्त्रीधन के लिए तंग परेशान नहीं किया। मेरे पति के साथ मेरा मनमुटाव हो गया था। इसिलए मैंने गलतफहमी में आकर मुकदमा दर्ज करवा दिया था।

दौराने जिरह सहायक अभियोजन अधिकारी में गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि मेरा मुलजिम के साथ राजीनामा हो गया और मैं उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती हूं। इस्तगासा प्रदर्श पी01 पर ए से बी मेरे साईन है। मैंने अपना मेडिकल नही करवाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी 02 दिया था। जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। फर्द जब्ती एवं अस्थाई सुपुर्दगी स्त्रीधन प्रदर्श पी 03 पर ऐ से बी मेरे साईन है। मैं मुलजिम के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती हूं। पुलिस बयान प्रदर्श पी 04 का भाग ए से बी गवाह को पढ़कर सुनाया तो गवाह ने ऐसा बयान पुलिस को देना नही ंबताया। उक्त गवाह पक्षद्रोही घोषित हुआ।

11. इसी प्रकार पीडब्ल्यू 02 आशा कुमारी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मेरा विवाह दिनांक 06.07.2018 को अविनाश के साथ खेतडीनगर में हुआ था। मेरी बडी बहिन किरण कुमारी का विवाह शेखर के साथ हुआ था। हमारे माता पिता ने हमें अपने हैसियत के अनुसार स्त्रीधन दिया था। विवाह के बाद जब विदा होकर अपनी ससुराल गई तब ना तो मेरे पति व ना ही मेरे ससुराल वालों ने स्त्रीधन के लिए तंग परेशान नहीं किया व ना ही मेरी बहिन किरण को उसके पति शेखर ने दहेज के लिए तंग परेशान किया। मुझे मेरी बहिन ने ऐसी बात नहीं बताई थी।

दौराने जिरह सहायक अभियोजन अधिकारी मे गवाह ने कथन किया है कि पुलिस बयान प्रदर्श पी 05 का भाग ऐ से बी गवाह को पढ़कर सुनाया तो ऐसा बान मैंने पुलिस को नहीं दिया बताया। यह कहना सही है कि मेरी बहिन का मुलजिम के साथ राजीनामा हो गया। उक्त गवाह पक्षद्रोही घोषित हुआ।

12. इसी प्रकार पीडब्ल्यू 03 पप्पूसिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मेरी पुत्रियों किरण व आशा का विवाह दिनांक 06.07. 2018 को शेखर व अविनाश के साथ खेतड़ीनग में हुआ था। हमने अपनी हैसियत के अनुसार दोनों पुत्रियों को स्त्रीधन दिया था। विवाह के बाद जब विदा होकर मेरी दोनों पुत्रियां अपने ससुराल गई तब ना तो उनके पति व ना ही उनके ससुराल वालों ने दहेज के लिए तंग परेशान नहीं किया व ना ही मेरी दोनों बेटियों ऐसा मुझे बताया।

दौराने जिरह सहायक अभियोजन अधिकारी मे गवाह ने कथन किया है कि पुलिस बयान प्रदर्श पी 06 का भाग ए से बी गवाह को पढ़कर सुनाया तो ऐसा बयान मैंने पुलिस को नहीं दिया बताया। यह कहना सही है कि मेरी बेटी का मुलजिम के साथ राजीनामा हो गया।

13. इसी प्रकार पीडब्ल्यू 04 भतेरी देवी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मेरी पुत्रियों किरण व आशा का विवाह दिनांक 06.07. 2018 को शेखर व अविनाश के साथ खेतडीनगर में हुआ था। हमनें अपनी हैसियत के अनुसार दोनों पुत्रियों को स्त्रीधन दिया था। विवाह के बाद जब विदा होकर मेरी दोनों पुत्रियां अपने ससुराल गई तब ना तो उनके पति व ना तो उनके पति व ना ही उनके ससुराल वालों ने दहेज के लिए तंग परेशान नहीं किया व ना ही मेरी दोनों बेटियों ऐसा मुझे बताया।

दौराने जिरह सहायक अभियोजन अधिकारी मे गवाह ने कथन किया है कि पुलिस बयान प्रदर्श पी 07 का भाग ए से बी गवाह को पढ़कर सुनाया तो ऐसा बयान मैंने पुलिस को नही दिया बताया। यह कहना सही है कि मेरी बेटी का मुलजिम के साथ राजीनामा हो गया। उक्त गवाह पक्षद्रोही घोषित हुआ।

14. इस प्रकार से अभियोजन पक्ष की आई साक्ष्य का अवलोकन करे तो हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाहों को परीक्षित करवाया गया है जिसमें पीडब्ल्यू 01 परिवादिया ने कथन किया है कि उसका उसके पति के साथ मनमुटाव हो गया था एवं गलतफहमी से मुकदमा दर्ज करा दिया था तथा स्त्रीधन के लिए तंग–परेशान नहीं करना कथन किया है तथा मुलजिमान से राजीनामा होना तथा आगे की कार्यवाही नहीं चाहने बाबत कथन किया है।

इसी प्रकार पीडब्ल्यू 02 आशा कुमारी ने भी कथन किया है कि परिवादिया के पति एवं ससुराल के द्वारा स्त्रीधन के लिए तंग–परेशान नहीं किया गया है, ना ही अभियुक्त द्वारा दहेज के लिए तंग–परेशान किया गया है तथा पुलिस बयान प्रदर्श पी 05 का भाग पुसिल को नहीं देना कथन किया है तथा अभियुक्त से राजीनामा होने का कथन किया है।

इसी प्रकार पीडब्ल्यू 03 पप्पूसिंह व पीडब्ल्यू 04 भतेरी देवी द्वारा भी स्पष्ट कथन किया है कि अभियुक्त द्वारा दहेज के लिए तंग–परेशान नहीं किया गया था।

इस प्रकार से अभियोजन पक्ष के उपरोक्त सभी गवाह मुख्य एवं प्रत्य क्षदर्शी गवाह है जिनके द्वारा स्पष्ट कथन किया है कि अभियुक्त द्वारा दहेज के लिए तंग–परेशान नहीं किया गया था। चूंकि धारा 406 भादस में परिवादी पक्ष एवं अभियुक्त के मध्य राजीनामा होकर अभियुक्त को

दोषमुक्त किया जा चुका है तथा धारा 498 ए भादस में यह तथ्य साबित करना था कि अभियुक्त ने परिवादिया को दहेज के लिए तंग–परेशान कर क्रूरता की है किंतु इस बाबत अभियोजन पक्ष द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। अभियोजन पक्ष के संपूर्ण गवाह पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। किसी भी गवाह ने अभियोजन पक्ष की कहानी का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है।

15. लिहाजा अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध संदेह से परे यह तथ्य साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा परिवादिया को दहेज के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर क्रूरता कारित की हो। चूंकि परिवादिया द्वारा अभियुक्त के साथ धारा 406 भारतीय दंड सहिता में राजीनामा कर लिया है तथा न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 18.03.2026 के द्वारा अभियुक्त को धारा 406 भारतीय दंड संहिता में जरिये राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है तथा धारा 498ए भारतीय दंड संहिता का अपराध अभियोजन पक्ष संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है लिहाजा अभियुक्त को धारा 498ए भारतीय दंड संहिता में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित है।

::–आदेश–::

16. एतद्द्वारा अभियुक्त शेखर पुत्र होशियार सिंह उम्र 30 साल निवासी जोधा का बास तन नारी थाना चिड़ावा जिला झुंझुनू राज0 को धारा–498ए भा0दं0सं0 के तहत दण्डनीय अपराध में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त को दिनांक 18.03.2026 को अपराध अन्तर्गत धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से जरिए राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है। अभियुक्त की न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

जब्तशुदा स्त्रीधन जो कि परिवादिया के पास है, परिवादिया के पास ही रहे।

(विनोद कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
खेतडी, जिला झुन्झुनूं

17. निर्णय आज दिनांक 02 अप्रैल 2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
खेतडी जिला झुंझुनूं